बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001

कार्यपरिषद
की 16वीं बैठक
दिनांक 26.03.2016

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- अध्यक्ष की अनुमति से टेबल एजेण्डा
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

26 मार्च 2016

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत 494001

Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur

(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001, Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 737 /ब.वि.वि./2015 जगदलपुर, दिनांक 31/03/2016

प्रति,

____

____

____

____

माननीय कार्यपरिषद सदस्य,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :- **बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के 16वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 26.03.2016 को बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की 16वीं बैठक का आयोजन जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के आस्था हॉल में अपरान्ह 12.00 बजे से आहुत की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 738 /ब.वि.वि./2015 जगदलपुर, दिनांक 31/03/2016

प्रतिलिपि:—

01. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर (छ.ग.) को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।
02. माननीय प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
04. मान. कुलपति के निजसहायक, बस्तर विश्वविद्यालय को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
05. समस्त विभागप्रमुख/विभागाध्यक्ष, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्र. **736** / ब.वि.वि. / 2016 जगदलपुर, दिनांक 31 / 03 / 2016

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

01.	प्रोफेसर एन.डी.आर. चन्द्र, कुलपति	–	अध्यक्ष
02.	मान. संतोष बाफना, विधायक, जगदलपुर	–	सदस्य
03	मान. बघेल लखेश्वर, विधायक, बस्तर	–	सदस्य
03.	फादर टी.जे. पॉल,	–	सदस्य
04.	डॉ. व्ही.के. गोयल	–	सदस्य
05.	डॉ. सी.आर. पटेल,	–	सदस्य
08.	श्री आई.पी. तिवारी	–	सदस्य
09.	श्री जी.पी. खरे,	–	सदस्य
09.	श्री एस.पी. तिवारी, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.03.2016 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया:–

विषय कमांक–1:–

बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 17.04.2015 एवं कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 07.08.2015 में पारित निर्णयों का अनुमोदन तथा पालन प्रतिवेदन।

विभागीय टीप– कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 17.04.2015 एवं कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 07.08.2015 में पारित निर्णयों के संबंध में समुचित आवश्यक क्रियान्वयन एवं पालन पूर्व कुलसचिव डॉ. इन्दु अनंत द्वारा नहीं की गई है। पूर्व बैठक दिनांक 17.04.2015 एवं कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 07.08.2015 में पारित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन संलग्न है। मान. कार्यपरिषद कृपया अवलोकन करना चाहें।

निर्णय:–**बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 17.04.2015 एवं कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 07.08.2015 में पारित निर्णयों का अनुमोदन तथा पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जिन विषयों के निर्णयों का पालन पूर्व कुलसचिव द्वारा नहीं किया गया है, जो प्रसंशनीय नहीं है; उन निर्णयों का पालन वर्तमान कुलसचिव द्वारा किया जाना चाहिये। (सूची संलग्न है)**

विषय कमांक–2:–

बस्तर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु माननीय कलेक्टर, जिला–बस्तर, के द्वारा विश्वविद्यालय को धरमपुरा, कालीपुर, घाटपद्मुर में कुल 122.74 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, भूमि संबंधी नक्शा खसरा बी.1 की प्रति तहसीलदार, जगदलपुर द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया। यह वि.वि. के लिये बहुत अच्छा होगा कि वि.वि. के नये भवनों का निर्माण कालीपुर, घाटपद्मुर (धरमपुरा) में ही कराया जायेगा।

विषय कमांक–3:–

भवन समिति की बैठक दिनांक 23.02.2016 को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई। बैठक के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

विषय कमांक–4:–

पूर्व कुलसचिव, डॉ. इन्दु अनंत द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के गोपनीय नस्ती, कैशबुक, चैकबुक, गोपनीय मुद्रण संबंधी दस्तावेज आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत एवं अन्य विषय।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पूर्व के गोपनीय खाता को जारी रखते हुए नवीन कैशबुक, चेक आदि संधारित करते हुए गोपनीय कार्यवाही किया जाये। यह भी कि पुराने चेक्स को निरस्त/स्टॉप पेमेंट कराया जाये। अन्य मुद्दों पर जिसमें कार्यवाही नहीं हुआ है उन विषयों के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया जाये। चेकबुक, कैशबुक आदि लेकर एक सप्ताह के अंदर उन्हें विश्वविद्यालय में समस्त गोपनीय चेक एवं कागजात जमा करने को कहा जाये, उसके पश्चात ही अग्र कार्यवाही हेतु कार्यपरिषद में प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।

विषय कमांक–5:–

बस्तर विश्वविद्यालय के पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015–16 एवं बजट अनुमान वर्ष 2016–17 की चर्चा हेतु संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 25.02.2016 को वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के बजट का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा बजट का अवलोकन करते हुए प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट 2015–16 को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय कमांक–6:–

बस्तर विश्वविद्यालय,जगदलपुर के विज्ञापित तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती में आ रही कठिनाई का निराकरण के संबंध में प्रकरण विचारार्थ।

विभागीय टीप – दिनांक 20.02.2016 को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ

श्रेणी की भर्ती संबंध में माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी की उपस्थिति में भर्ती संबंध में पुर्नगठित समिति सदस्यों द्वारा आगामी कार्यपरिषद की बैठक में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु भर्ती के संबंध में आ रही विभिन्न तकनीकी दिक्कतों/विसंगतियों पर समाधानिक चर्चा की।

उपरोक्त बैठक में चर्चा एवं सर्वसम्मति निम्नलिखित बिन्दुओं पर हुई :–

(a.) बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार में विज्ञापित शैक्षणिक योग्यता एवं संशोधित विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम न्यूनतम योग्यता निर्धारण के संबंध में।

विस्तृत विवरण एवं चर्चा –

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विज्ञापनों के आधार पर बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा प्रथम विज्ञापन क्र 1936/3 ब.वि.वि., दिनांक 21.11.2012 को विज्ञापन निकाला गया था। पुनः पत्र क्र/वि. क्र.1198/स्था./ब.वि.वि./ दिनांक 22.05.2013 को पद क्र. 5,8,14,15,16,17,18,19,20 तथा 25 आदि में के शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन करते हुए संशोधित विज्ञापन निकाला गया। पुनः दिनांक 27.05.2013 वि. क्र. 1228 के माध्यम से पद क्र. 8 के शैक्षणिक योग्यता संबंध में प्रथम बार के विज्ञापन में मांगी गयी शैक्षणिक आर्हता को आधार मानते हुए पद क्र. 8 हेतु शैक्षणिक योग्यता यथावत रखा गया।

वर्तमान में उपरोक्तानुसार निकाले गये प्रथम विज्ञापन एवं संशोधित विज्ञापनों में शैक्षणिक योग्यता में विभिन्नताएँ है।

बैठक में सर्वसहमति से सम्माननीय कार्यपरिषद में निर्णय हेतु प्रस्ताव/ विभागीय टीप –

उपरोक्तानुसार विस्तृत चर्चा उपरांत सर्वसहमति से यह समाधान निकाला गया कि शैक्षणिक योग्यताओं में विभिन्नताओं को दूर करने हेतु विज्ञापित मूल विज्ञापन एवं संशोधित विज्ञापनों में से जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जावें। जिससे कि किसी भी विज्ञापन में आवेदित आवेदक का अहित न हो।

उपरोक्त संबंध में सम्माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति हो तो उक्त संबंध में शुद्धि पत्र निकाला जाना होगा।

(b.) विज्ञापित तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में भर्ती राज्य स्तर पर या सम्माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.01.2015 के निर्णय अनुसार बस्तर संभाग के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति देने के संबंध में एवं बस्तर संभाग से बाहर के आवेदकों के डी.डी. वापसी के निर्णय संबंध में।

विस्तृत विवरण एवं चर्चा –

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम विज्ञापन एवं संशोधित विज्ञापन में बस्तर को प्राथमिकता देते हुए राज्य स्तर से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 07.01.2015 की बैठक में स्थानीय भर्ती के संबंध में प्रस्ताव निर्णय हेतु रखा गया जिसमें सम्माननीय कार्यपरिषद ने उक्त भर्ती में बस्तर संभाग के स्थानीय उम्मीद्वारों की नियुक्ति का निर्णय लिया था एवं शेष उम्मीद्वारों के डी.डी./आवेदन वापसी हेतु निर्देश दिये थे।

वर्तमान स्थिति :–

परन्तु छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के पत्र क्र 4509/635/2014/38–2 नया रायपुर दिनांक 28.11.2015 के माध्यम यह अभिमत प्राप्त हुआ कि " प्रशासकीय विभाग बस्तर विश्वविद्यालय के राज्य स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बस्तर के स्थानीय उम्मीद्वारों को प्राथमिकता दे सकता है।

बैठक में सर्वसहमति से सम्माननीय कार्यपरषिद की बैठक हेतु प्रस्ताव/

<u>विभागीय टीप –</u>

राज्य सरकार के पत्रानुसार "राज्य स्तर पर भर्ती करते हुए बस्तर को प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया जाना उचित होगा। जिससे कि राज्य शासन के अभिमत की भी पूर्ति हो सके। परन्तु राज्य स्तर पर भर्ती करते हुए बस्तर को प्राथमिकता देने संबंध में बस्तर संभाग के उम्मीद्वारों को कुछ अंकों का अतिरिक्त बोनस दिया जाना होगा जिससे कि बस्तर के स्थानीय उम्मीद्वारों को प्राथमिकता दिया जा सके।

बस्तर संभाग के उम्मीद्वरों को 10 अंक बोनस दिये जाते हुए सम्माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(c.) राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ –9–6/2015/3 एक नया रायपुर दिनांक 05.12.2015 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर साक्षात्कार समाप्त करने संबंधी पत्र के संबंध में चर्चा।

<u>विस्तृत विवरण एवं चर्चा :–</u>

उपरोक्त संबंध में संदर्भित आदेश (क्र. एफ/9–6/2015 दि. 05.12.2015) के परिपालन में विज्ञापन में उल्लेखित साक्षात्कार के अंक को समाप्त किया जाना होगा। परन्तु लिखित परीक्षा को पूर्ववत विज्ञापन अनुसार आंशिक शुद्धि पत्र जारी करते हुए यथावत रखे जाने पर सहमति रखते हुए सम्माननीय कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखे जाने नीतिगत निर्णय हेतु सहमति प्राप्त हुई। साथ ही लिखित परीक्षा हेतु डॉ. डी.एन. मेहर की अध्यक्षता में पूर्व गठित कमेटी के पुनर्गठन/पुनर्विचार किया जाना है।

<u>कार्यपरिषद बैठक हेतु प्रस्ताव / विभागीय टीप :–</u>

लिखित परीक्षा मात्र लिए जाने एवं साक्षात्कार को उपरोक्तानुसार पत्र के परिपालन में समाप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा जाना। साथ ही डॉ. डी.एन. मेहर की अध्यक्षता में पूर्व गठित कमेटी के पुनर्गठन किया जाना है।

(d.) बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/संविदा कर्मचारियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की भर्ती में बोनस के रूप में 40 अंक दिये जाने हेतु सम्माननीय कार्यपरिषद में प्रस्ताव रखे जाने संबंध में।

<u>विस्तृत विवरण एवं चर्चा :–</u>

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी संघ की मांग एवं कर्मचारी संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये (सहायक आयुक्त आ.वि.कृते कलेक्टर जिला बस्तर) पत्र को आधार मानते हुए कुल 40 अंक बोनस प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई जिससे कि बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ हो सके। 40 अंक बोनस का विभाजन निम्नानुसार है :–

0 से 01 वर्ष	–	0 अंक
01 से 03 वर्ष	–	20 अंक
03 से 05 वर्ष	–	30 अंक
05 वर्ष से अधिक	–	40 अंक प्रस्तावित है

(विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मीयों को 40 अंक का बोनस अधिकतम होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य बोनस नहीं प्राप्त होगा।)

<u>सम्माननीय कार्यपरिषद में रखे जाने वाले प्रस्ताव/विभागीय टीप :–</u>

उपरोक्त चार बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर उपरोक्तानुसार भर्ती संबंध में विसंगतियों को दूर करने हेतु समाधानिक प्रस्ताव सम्माननीय कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु सहमति बनी। साथ ही सभी

प्राप्त आवेदकों के मूल डी.डी. एवं डी.डी. की छायाप्रति स्वीकार करने पर भी सहमति बनी जिससे कि किसी भी उम्मीद्वार को उम्मीद्वारी से वंचित न होना पड़े।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को सम्माननीय कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव नीतिगत निर्णय किये जाने हेतु रखना उचित होगा जिससे कि शीघ्र से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

सभी बिन्दुओं को सम्माननीय कार्यपरिषद मान्य कर लेती है तो पुनः एक सभी संशोधित बिन्दओं को उल्लेखित कर शुद्धि पत्र निकाला जाना उचित होगा।

(e.) रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का पत्र क्रमांक 706/एफ–2015–04–02007/ब–4/चार/नया रायपुर दिनांक 14.08.2015 एवं पत्र 6. 170/बी–4/चार/2014 दिनांक 02.05.2014 तथा 202/बी.–4/चार/2014, दिनांक 08.05.2014 प्रस्तुत।

(f.) बस्तर विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षो से कार्यरत संविदा शिक्षकों जिन्होंने तृतीय श्रेणी के पदों पर आवेदन किया है, को भी बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है। कृपया इस संबंध में निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः–**माननीय कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में गठित डी.एन. मेहर की कमेटी में इन्दु अनंत के स्थान पर श्री एस.पी. तिवारी को सदस्य नियुक्त किया गया। डॉ. शैलेन्द्र पटेल – प्रस्तोता सदस्य होंगे। कमेटी भर्ती संबंधी आवश्यक निर्णय लेगी, समस्त प्रकियाओं के संबंध में रूपरेखा बनायेगी, सारे विसंगतियों को दूर करते हुए प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष रखेगी एवं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे भर्ती का कार्य पूर्ण की जा सके।**

विषय कमांक–7:–

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित संविदा शिक्षक भर्ती विज्ञापन के अनुसार दिनांक 13.02.2016 को एम.ए. राजनीति विज्ञान एवं एम.ए. अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापक (संविदा) भर्ती हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया, साक्षात्कार संबंधी गोपनीय लिफाफा एवं परिणाम।

प्रभारी विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान के पत्र दिनांक 20.02.2016 के अनुसार सत्र 2015–16 में राजनीति विज्ञान विषय में दो सेमेस्टर की अध्यापन कार्य होना है, जिस हेतु 04 सहायक प्राध्यापकों की आवश्यकता शिक्षण कार्य के लिये होगी। उक्त विषय हेतु 04 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति किये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत। **(संलग्न आवेदन)**

निर्णयः–**मान. कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि एम.ए. अंग्रेजी विषय में संविदा नियुक्ति हेतु योग्यता नहीं होने के कारण दोनों अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कराया जा सकता है। अतः साक्षात्कार में आये दो उम्मीदवारों को अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाये। एम.ए. राजनीति विज्ञान में सत्र 2015–16 में दो सेमेस्टर एक साथ चलेंगे, इस आवश्यकता को देखते हुए विभागाध्यक्ष ने 4 शिक्षकों की मांग की है। अतः चयनित शिक्षकों में से कम–से कम 3 को संविदा पर नियुक्ति प्रदान तत्काल किया जाये, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।**

विषय क्र..8 –

अनाम रखने का अनुरोध करते हुए एक फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को दान स्वरूप प्रदान की गई माँ सरस्वती की अष्ठधातु प्रतिमा के संबंध में सूचनार्थ।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया तथा विश्वविद्यालय के स्कंधपंजी में विधिवत अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.9–

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में ।

पूर्व कुलसचिव डॉ. इन्दु अनन्त की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2015 को डी.पी.सी. कमेटी की बैठक में विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति किया गया एवं कुछ तकनीकी कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु अनुसंशा की गई। पदोन्नति समिति के रिपोर्ट के अवलोकन पर कई विसंगतियां पाई गई थीं, जिसके परिप्रेक्ष्य में कुलपति के निर्देशानुसार 07 बिन्दुओं की कार्यवाही हेतु डी.पी.सी. के रिव्ह्यू कमेटी की बैठक में विसंगतियों को दूर करने निर्देश दिया गया था, किन्तु डी.पी.सी. के रिव्ह्यू कमेटी की बैठक दिनांक 26.06.2015 में समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा पूर्व के अनुसंशा को यथावत रखा गया एवं तत्कालिक प्रभारी कुलसचिव श्री ए.आर.चौरे द्वारा पदोन्नति का आदेश कमेटी की अनुशंसा के अनुसार जारी किया गया। चूंकि पूर्व कुलसचिव जो डी.पी.सी. अध्यक्ष थीं, उन्होंने रोस्टर रजिस्टर संधारण नहीं किया, अतः नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा बाद में रोस्टर रजिस्टर बनाया गया। डी.पी.सी. समिति के निम्नानुसार अनुसंशाओं पर सूचना/नीतिगत निर्णय मान. कार्यपरिषद लेना चाहे। (1) कमेटी रिपोर्ट संलग्न (2) रिव्ह्यू कमटी के लिये कुलपति का आदेश।

(A) डी.पी.सी. की अनुसंशा क्रमांक – 01 –

कार्यालय सहायक ग्रेड 3 में कार्यरत निम्न कर्मचारियों को कार्यालय सहायक ग्रेड–2 के पद पर वेतनमान 5200–20200–2400 पर पदोन्नति की अनुसंशा की गई, तदनुसार पदोन्नति आदेश क्रमांक 66/ब.वि.वि./सामा.प्रशा/2016, दिनांक 11.01.2016 को जारी किया गया। मान. कार्यपरिषद कृपया सूचना ग्रहण करें–

1.	श्रीमती शहनाज बेगम	–	सामान्य
2	श्री नोवेल किण्डो	–	अनुसूचित जनजाति
3	श्री थान सिंह	–	अनुसूचित जाति
4	श्री उदय पाण्डेय	–	सामान्य

(B) डी.पी.सी. की अनुसंशा क्रमांक – 02 –

भृत्य, चौकीदार, स्वीपर में कार्यरत निम्न कर्मचारियों को कार्यालय सहायक ग्रेड–3 के पद पर वेतनमान 5200–20200–1900 में एक वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण कर प्रस्तुत करने की शर्त पर पदोन्नति की अनुसंशा की गई, तदनुसार पदोन्नति आदेश क्रमांक 64/ब.वि.वि./सामा.प्रशा/2016, दिनांक 11.01.2016 को जारी किया गया। मान. कार्यपरिषद कृपया सूचना ग्रहण करें–

श्री लखेश्वर बघेल	–	सामान्य
श्री शैलेन्द्र कुमार	–	अनुसूचित जाति

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा डी.पी.सी. की अनुसंशा क्र. 01 एवं 02 के संबंध में सूचना ग्रहण किया गया।

(C) डी.पी.सी. की अनुसंशा क्रमांक – 03 –

समिति के समक्ष श्री विपिन कुमार गुप्ता, स्टेनोग्राफर द्वारा कुलपति के निजसहायक के पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार उपरांत डी.पी.सी. समिति की अनुसंशा पर नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण का मान. कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप–

श्री विपिन गुप्ता, स्टेनोग्राफर के आवेदन दिनांक 29.03.2014 एवं दिनांक 28.01.2016 के अनुसार छ.ग. शासन के नियमानुसार एवं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में पदोन्नति नियम के अनुसार अगले पदक्रम निजसहायक में पदोन्नति दिये जाने हेतु निम्नानुसार पदोन्नति चैनल का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत–

(क) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार (संलग्न–01)

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना
क्र.155, दिनांक 30.06.2016 (छ.ग. सचिवालय सेवा नियम) **संलग्न–1**

क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	पद के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति
1	निज सचिव	स्टॉफ ऑफिसर	5 वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति
2	निजसहायक	निज सचिव	5 वर्ष	
3	स्टेनोग्राफर	निजसहायक	5 वर्ष	

(ख) इंदिराकला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के **Statute No. 14(10)** के अनुसार पदोन्नति नियम तथा चैनल मान. कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्तानुसार छ.ग. शासन के पदोन्नति चैनल को अंगीकृत करते हुए शासन के नियमानुसार श्री विपिन गुप्ता, स्टेनोग्राफर के 6.3 वर्षो की उत्कृष्ठ सेवा को देखते हुए संबंधित को निजसहायक के पद पर पदोन्नति दी जा सकती है। मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–**मान. कार्यपरिषद द्वारा डी.पी.सी. की अनुसंशा क्र. 03 के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार पदोन्नति नियम एवं चैनल को अंगीकृत करते हुए श्री विपिन कुमार गुप्ता को अगले पदक्रम निजसहायक में पदोन्नति दिया जाये, तत्संबंधी पदोन्नति आदेश जारी किया जाये।**

(D) डी.पी.सी. की अनुसंशा क्रमांक – 04 –

श्री प्यारेलाल यादव, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं श्री राम मरकाम, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर द्वारा सहायक ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत डी.पी.सी. समिति की अनुसंशा पर नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण का मान. कार्यपरिषद अवकोलनार्थ प्रस्तुत।

(E) डी.पी.सी. के रिव्हयू समिति की अनुसंशा क्रमांक – 01 एवं 02

पदोन्नति समिति की रिव्हयू समिति की बैठक दिनांक 01.08.2015 में डी.पी.सी. की प्रथम बैठक दिनांक 17.03.2015 के निर्णयों को पूर्वानुसार ही रखने की अनुसंशा किया गया है। मान. कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा डी.पी.सी. की अनुसंशा क्र. 04 के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छ.ग. शासन के नियमानुसार उक्त पद में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है अतः शासन के नियमानुसार उपयुक्त समय पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। डी.पी.सी. के रिव्हयू समिति की अनुसंशा क्रमांक – 01 एवं 02 के संबंध में सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्र.10 –

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति एवं आरक्षण रोस्टर के संबंध में प्राप्त विभिन्न आवेदनों पर विचार एवं निर्णय हेतु–

01. श्री जगदीश राम नाग, भृत्य, बस्तर विश्वविद्यालय का शिकायती पत्र दिनांक 19.01.2016 – डी.पी.सी. द्वारा चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पदोन्नति में आरक्षण नियमों के विरूद्ध पदोन्नति संबंधी शिकायत की गई है। आवेदक के अनुसार एस.टी. वर्ग का अभ्यर्थी होने के बावजूद एवं वरिष्ठता/योग्यता के बावजूद पदोन्नति से वंचित किया गया है।

02. बस्तर विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ का पत्र क्र. 45, दिनांक 20.01.2016 के द्वारा श्रीमती रेणुका सिन्हा, भृत्य, श्री जगदीश राम नाग, भृत्य तथा श्री भरत यादव, भृत्य के शिकायत पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में पालन किये गये आरक्षण रोस्टर की प्रति की मांग की गई है।

विभागीय टीप–

उपरोक्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही/विचार हेतु डी.पी.सी. की आगामी बैठक में रखा जा सकता है।

निर्णयः–रिव्हयू डी.पी.सी. के आदेश देने के बावजूद भी डॉ. इन्दु अनंत, पूर्वकुलसचिव की अध्यक्षता में गठित डी.पी.सी. समिति ने इनके विषय पर विचार नहीं किया है और न ही डी.पी.सी. कमेटी ने रोस्टर जारी किया था, जिसके लिये वे जवाबदार एवं जिम्मेदार हैं। ~~डी.पी.सी. कमेटी का कार्य प्रसंशनीय नहीं है।~~ चूंकि ~~कर्मचारियों~~ द्वारा अपने पदोन्नति के मामले के लिये हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे चुके थे, विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर बनाकर अनुसंशित आवेदकों को पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। संबंधितों के आवेदनों पर आगामी डी.पी.सी. की बैठक में विचार किया जाना चाहिये। आगामी डी.पी.सी. की बैठक में पदोन्नति संबंधी आरक्षण के रोस्टर राज्य स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियमानुसार संधारित कर ली जाये।

विषय क्र.11–

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित छःमाही न्यूज लेटर संस्करण (i) July 2014 -December 2014, (ii) Jan 2015- June 2015, (iii) July 2015 - Dec. 2015, (iv) Jan. 2016 - June 2016 के प्रकाशन की स्वीकृति बाबत्।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा न्यूज लेटर के प्रकाशन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.12 –

ढोकरा कला वर्कशॉप भवन निर्माण के लिये कुलपति द्वारा चयनित स्थल का अनुमोदन। ढोकरकला वर्कशॉप भवन हेतु 12 लाख रूपये स्वीकृत किया गया था, उक्त भवन के निर्माण में कुल लागत 8.00 लाख रूपये व्यय हुआ है। शेष राशि को आर्ट आदि में खर्च किये जायेंगे। भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान कर दिया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अनुमोदित किया गया।

विषय क्र.13 –

श्री शोभाराम नाग, लैब तकनीशियन का शिकायती पत्र (अशोभनीय एवं अभद्र व्यवहार करने संबंधी) एवं इस संबंध में डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णय हेतु।

निर्णयः–**डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन कुलसचिव द्वारा डॉ. सुकृता तिर्की के विरूद्ध एफ.आई.आर. करने के लिये थाने में भेजी थीं। मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण थाने में विचाराधीन है, अतः प्रकरण का निपटान थाने के माध्यम से ही किया जाये।**

विषय क्र.14 –

1. बस्तर विश्वविद्यालय, कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा कर्मचारियों के हितों संबंधी विभिन्न मांगों के संबंध में।

2. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के आदेश कमांक 123/ब.वि.वि./परीक्षा/2016 जगदलपुर दिनांक 20.01.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों की सेवा "अनिवार्य सेवा" घोषित की जाती है। इस अवधि में अवकाश उपभोग, धरना प्रदर्शन जैसे–आन्दोलनात्मक गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे। संबंधितों को प्रमोशन आदेश भी जारी कर दी गई थी।

उपरोक्त आदेश के बावजूद विश्वविद्यलय कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा विभिन्न मांगो के संबंध में दिनांक 21.01.2016 से 25.01.2016 तक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहे है। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल अवधि का सभी नियमित कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है। कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार करते हुये, उक्त अवधि का वेतन वर्तमान में रोका गया है। हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में मान. कार्यपरिषद निर्णय हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः–**मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त 10 मांगों के संबंध में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती संबंधी गठित समिति के निर्णय आने के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाये। साथ ही हड़ताल अवधि में रहे कर्मचारियों के रोके गये वेतन का भुगतान करने की स्वीकृति इस चेतावनी के साथ दी गई कि भविष्य में शासन के नियमों, आचार संहिता, अध्यादेशों आदि का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

विषय क्र.15—

बस्तर विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी तथा कार्य की अधिकता को देखते हुये निम्नानुसार सहायक प्राध्यापकों को उनके पूर्व प्रभारी कार्य के साथ—साथ दायित्व/प्रभार अस्थायी तौर पर सौंपा गया है।

01. श्री शोभाराम डेहरिया, सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष, समाज कार्य अध्ययनशाला को प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी, एवं सहायक कुलसचिव (अकादमिक), बस्तर विश्वविद्यालय का प्रभार सौंपा गया है।

02. डॉ. अनुपम तिवारी, सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष, ग्रामीण प्रौद्यागिकी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं सहा.कुलसचिव, सामान्य प्रशासन एवं स्थापना सहित सह भंडार बस्तर विश्वविद्यालय का प्रभार सौंपा गया है।

माननीय कार्य परिषद कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना ग्रहण करें।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्र.16 —

01. श्री शोभाराम डेहरिया, प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी, बस्तर विश्वविद्यालय को प्रतिमाह राशि 1000/— मोबाईल व्यय की राशि प्रदाय हेतु आवेदन।

02. डॉ. अनुपम तिवारी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं सहा.कुलसचिव, सामान्य प्रशासन सह भंडार बस्तर विश्वविद्यालय को प्रतिमाह राशि 1000/— मोबाईल व्यय की राशि प्रदाय हेतु आवेदन।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधितों को पोस्टपेड सिम पर प्रतिमाह अधिकतम 1000/— तक का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।

विषय क्र.17 —

बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन पूर्व कुलसचिव डॉ. इन्दु अनन्त द्वारा नहीं कराया गया न ही कोई कार्यवाही की गई। जिस कारण विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012—13 का प्रकाशन करा लिया गया है तथा वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिये समिति का गठन दिनांक 24.02.2016 को कर दी गई है। इससे पूर्व कमेटी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन 2013—14 अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ तथा प्रकाशन की अनुमति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए नियमानुसार प्रकाशन की अनुमति दी गई। तत्कालीन कुलसचिव द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण लंबित कार्यों को वर्तमान कुलसचिव और कुलपति ने संपादित कर एवं प्रकाशित कराकर विधानसभा के पटल पर रखने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया। मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्र.18 –

(i) शिक्षकीय भर्ती संबंधी माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी./पी.आईएल. 59/2015–अर्जुन नाग, विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य संबंधी याचिका दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने खारिज कर दिया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

(ii) उपरोक्त (i) में लगाये गये सभी आरोप निराधार हैं। अतः विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित शिक्षकीय पदों की भर्ती संबंधी विज्ञापन के तारतम्य में मार्च 2015 में पूर्ण गोपनीयता एवं पारदर्शितापूर्वक संपन्न साक्षात्कार संबंधी परिणाम जारी करने हेतु गोपनीय लिफाफा खोलने बाबत् मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः–**मान. उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन माननीय कार्यपरिषद द्वारा किया गया। इस विषय हेतु पृथक से शीघ्र आपात बैठक/सामान्य बैठक आयोजित कर अनिवार्यतः निर्णय लिये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन पारित किया गया।**

विषय क्र.19–

बस्तर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण की सुविधा देने बाबत् बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अन्य विश्वविद्यालय की भांति ऋण सुविधा बैंक के ब्याज दर पर दी जा सकती है। इस सत्र 2016–17 के बजट में राशि की 50 लाख की राशि रखे जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–**मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि चूंकि इस वर्ष के बजट में प्रावधान नहीं किया गया है इसलिये आगामी बजट में विचार किया जावेगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण की सुविधा है, लाभ ले सकते हैं।**

विषय क्र.20–

बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में खेल ग्राउन्ड विकसित करने बाबत्।

विभागीय टीप– बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपरु के छात्र/छात्राओं द्वारा लगातार विश्वविद्यालय परिसर में खेल ग्राउन्ड बनाने का मांग किया जा रहा है। जिसे दृष्टिगत रखते हुये साफ सफाई करवाई गई है। जिसमे फुटबाल, बालीबाल, बैडमिन्टन एवं बास्केटबाल ग्राउन्ड बनाने का प्रस्ताव है। छात्र हित में प्रकरण कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–**मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय हेतु नवीन प्रस्तावित स्थल में सारी व्यवस्थाएं की जायेगी।**

विषय क्र.21–

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की गई है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

संविदा में कार्यरत निम्न शिक्षकों के संविदा अवधि शैक्षणिक सत्र 2015–16 अर्थात 01 वर्ष के लिये बढ़ाई गई है।

1 डॉ. अनुपम तिवारी, 2 श्री सुजीत कुमार कश्यप, 3 श्री देवेश चन्द्रवंशी,
4 डॉ. बी.अनिल प्रसाद, 5 श्री शोभाराम डेहरिया, 6 श्रीमती शबाना खान,
7 श्री दिनेश कुमार , 8 श्रीमती तृप्ती मिश्रा,

तृतीय श्रेणी के निम्नानुसार संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की गई है–

1. श्री रमेश चन्द्र केवट, सहा.वर्ग–3 – दिनांक 01.07.2015 से एक वर्ष के लिये पुनः संविदा में इनकी नियुक्ति की गई है।

2. श्री सतीश साहू, सहा.वर्ग–2 – दिनांक 11.09.2015 से एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति दी गई है।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदित किया गया।

विषय क्र. 22–

01 श्री दुष्यन्त मेश्राम, सहा.ग्रेड–2 – कार्यालय आदेश 1996/ब.वि.वि./2015 दिनांक 01.12.2015 के अनुसार श्री दुश्यन्त मेश्राम, सहा.ग्रेड–2 की प्रतिनियुक्ति में वृद्धि दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 तक के लिये की गई थी। पुनः दोनो विश्वविद्यालय की आपसी सहमति पर इनकी प्रतिनियुक्ति 02 दिसम्बर,2016 तक के लिये की गई है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद सूचनार्थ प्रस्तुत।

02 श्री दुष्यन्त मेश्राम, सहा.ग्रेड–2 (खैरागढ़ विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति में बस्तर विश्वविद्यालय में पदस्थ) के आवेदन दिनांक 09.02.2016 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में संविलियन हेतु आवेदन किया है। अतः ***संबंधित के संविलियनीकरण संबंधी प्रकरण विचारार्थ मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।***

विभागीय टीप–

मान. कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरांत दोनों शासकीय विश्वविद्यालयों के आपसी सहमति से संविलियनीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सूचना ग्रहण किया गया। दोनों शासकीय विश्वविद्यालयों के आपसी सहमति से संविलियनीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

विषय क्र. 23–

बस्तर विश्वविद्यालय में निम्न तीन वाहन नीलाम किये जाने के संबंध प्रकरण ।

बस्तर विश्वविद्यालय स्थापना के पश्चात एक बोलोरो वाहन कमाक C.G.-4 -E-0662 सी– पं.रविशंकर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। जिका 9 साल का टैक्स भुगतान नहीं किया गया है। उसी प्रकरण वाहन कमांक C.G.-02 -4020 इंडिका एवं इडिगो वाहन क्रमांक C.G.-02-4019 जो अत्यधिक पुरानी हो चुंकी है। जिनका टैक्स भुगतान कर नीलामी कर विकय किया जाना है। अतः प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छ.ग. शासन के नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जाये।

विषय क्र. 24—

माननीय श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री जी छ.ग. शासन द्वारा छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में छात्र संघ कार्यालय स्व.बलीराम कश्यप के स्मृति में 10 लाख भवन निर्माण हेतु एवं एक मिनी बस प्रदान करने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा कार्य परिषद के संज्ञान हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संबंध में पत्राचार एवं संपर्क करने हेतु कुलसचिव, ब.वि.वि. को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्रमांक —25 (वित्त विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. राशि रू. 1.00 लाख से अधिक भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति सह सूचना के संबंध प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

02. वर्ष 2014 में खेल सामग्रियों को भण्डार क्रय नियम के विरूद्ध क्रय की गई कुल राशि रू. 2,08,920/— के देयक के संबंध में प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (वित्त विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

03. महिला सशक्तिकरण सेमीनार में भोजन व्यवस्था हेतु दिये गय अग्रिम राशि रू. 75000/— के सामायोजन के संबंध प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (वित्त विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्र. 01 सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदित किया गया। बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। नियमानुसार जो देयक पारित किये जाने योग्य है उसे पारित किया जाये।

विषय क्रमांक —26 (अकादमिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. वार्षिक परीक्षा 2014—15 के नकल प्रकरण का निराकरण किया गया है, प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

02. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015—16 में संचालित एम.एस.सी. ग्रामीण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के नवीन संशोधित क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम का अनुमोदन हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (अकादमिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

03. छ.ग. शासन के आदेशानुसार शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर का नाम परिवर्तन कर शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर रखा गया है, अतः शासन के आदेशानुसार नाम परिवर्तित करने संबंधी प्रकरण मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत। (अकादमिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क 1 एवं 2 नियमानुसार अनुमोदित किया गया। बिन्दु क. 3 के संबंध में राज्यशासन के आदेशानुसार नाम परिवर्तन संबंधी सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक –27 (जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:–

1. जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का निर्माण करना।
2. प्रयोगशाला को दो भाग में विभाजित करके कल्चर कक्ष तथा Media Preparation कक्ष का निर्माण करना।
3. प्रयोग शाला हेतु तीन A.C. क्रय करने का प्रस्ताव।
4. जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला हेतु राशि रू. 10000/– अग्रदाय राशि प्रदाय हेतु प्रस्ताव।
5. जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला हेतु कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 05 कम्प्यूटर सेट क्रय किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव।
6. प्रयोगशाला से संबंधित विभिन्न मशीनों व रसायनों की खरीदी हेतु प्रस्ताव (सूची संलग्न 5 पेज)

उक्त प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार बिन्दु क्र. 01 से 03 तक अनुमोदित किया गया। तथा बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में राशि रूपये 3000/– अग्रदाय राशि स्वीकृत किया गया। बिन्दु क्र. 5 एवं 6 नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –28

कम्प्यूटर अनुप्रयोग (M.C.A.) अध्ययनशाला द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की सामग्री के लिए राशि रू. 33,62,000/– तक क्रय किये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (एम.सी.ए. अध्ययनशाला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बजट में प्रावधान होने पर क्रय नियमों का पालन करते हुए कय किया जा सकता है।

विषय क्रमांक –29 (ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:–

1. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में संचालित एम.एस.–सी. ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं गैर सरकारी संगठन प्रबंधन प्रमाण पत्र के क्रेडिट आधारित नवीन संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन।
2. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 से संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित डिप्लोमा प्रोग्राम इन एन.जी.ओ. मैनेजमेंट एण्ड औंटरप्रनोरशीप मैनेजमेंट प्रोग्राम के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन एवं आगामी शैक्षणिक सत्र से डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति का प्रस्ताव।
3. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला हेतु राशि रू. 5000/– अग्रदाय राशि प्रदाय हेतु प्रस्ताव।
4. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 10 नग कम्प्यूटर सेट क्रय किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव।
5. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के पाठ्यक्रम अन्तर्गत मशरूम उत्पादन/ प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय परिसर में पृथक से मशरूम उत्पादन कक्ष (शेडनुमा) बनाये जाने हेतु प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 अनुमोदित, बिन्दु क्रमांक 3 के संबंध में राशि रूपये 3000/– अग्रदाय राशि स्वीकृत किया गया। बिन्दु क्रमांक 04 एवं 05 बजट की उपलब्धता होने पर नियमानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –30 (भण्डार शाखा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

1. विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार 06 नग शॉर्प फोटोकापी मशीन डी.जी.एस.एण्ड डी दर पर वोल्टेज स्टेबलाईजर सहित क्रय किया जाना है, जिसकी लागत रू. 7,74,445/– है कि स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

2. विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर ग्रीन बोर्ड, व्हाईट बोर्ड क्रय किया गया है, जिसकी वैट सहित कुल लागत राशि रू. 1,95,859/– भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

3. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला हेतु प्रायोगिक उपकरण क्रय करने के लिए निविदा जारी किया गया था, जिसमें पात्रता एवं न्यूनतम दर के अनुसार अनुमानित लागत रू. 18.50 लाख का क्रयादेश प्रेषित किया गया है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

4. प्रायोगिक उपकरण की निविदा छ.ग. संवाद, रायपुर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था, जिसका देयक राशि रू. 4,82,273/– भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

5. माननीय कुलपति महोदय को सर्वसुविधायुक्त भवन प्रदाय करने की दिशा में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. एवं डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर उचित क्षमता के जेनरेटर क्रय कर कुलपति निवास में लगाया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत रू. 3,85,000/– सम्भावित है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

6. कुलपति निवास, कुलपति कक्ष तथा कुलसचिव कक्ष हेतु डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर एल.ई.डी. टी. वी. क्रय करने के लिए आदेश जारी किया गया है, लागत मूल्य सर्वर्धित कर सहित रू. 2,78,944/ व्यय होगा। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

7. केन्द्रीय जेल, जगदलपुर के मुद्रणालय से विभिन्न प्रपत्र तथा लिफाफे मुद्रण करवाये जा रहे हैं, जिसकी सम्भावित लागत रू. 3,50,000/– की कार्योपरान्त भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

8. विश्वविद्यालय में सी.सी. टी.वी. लगाने हेतु निविदा जारी किया गया था, निविदा में स्वीकृत फर्म तथा दर विंध्या ट्रेडर्स, रायपुर को क्रय –कार्यादेश जारी किया गया है, छ.ग. संवाद रायपुर के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन की राशि सहित अनुमानित लागत लगभग रू. 3,00,000/– की स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

9. विश्वविद्यालय के द्वारा अनुपयोगी रद्दी कागजात नियमानुसार निविदा जारी करते हुए विक्रय किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय कोष में लगभग 5,00,000/ राशि प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

10. विश्वविद्यालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु 05 नग स्केनर, 10 नग प्रिन्टर, 20 नग UPS उपलब्धता के आधार पर डी.जी.एस.एण्ड डी. अथवा सी.एस.आई.डी.सी. दर पर क्रय करने की अनुमानित लागत 2,50,000/– संभावित है। स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के मांग के अनुसार 15 नग कम्प्यूटर सेट उपलब्धता के आधार पर डी.जी.एस.एण्ड डी. अथवा सी.एस.आई.डी.सी. दर पर क्रय किया जाना है। जिसकी अधिकतम अनुमानित लागत रू. लगभग 7,50,000/– स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

12. विश्वविद्यालय के द्वारा गोदरेज कम्पनी के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राशि रूपये **45,99,735/–** लाख का आवश्यकतानुसार फर्नीचर क्रय कर भुगतान किया गया है, विवरण संलग्न है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

13. विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार तीन नग वाटर कूलर उपलब्धता के आधार पर सी.एस.आई.डी.सी. दर पर क्रय किया जाना है, जिसकी कर सहित अनुमानित कुल लागत 1,38,903/– सम्भावित की स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

14. विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में मांग के अनुसार 02 नग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर क्रय किया जाना है, जिसकी मूल्य संवर्धित कर सहित अधिकतम लागत 3,10,000/– संभावित है, स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

15. विगत वर्ष विश्वविद्यालय के फोटोकॉपीयर मशीन शॉर्प तथा रिको के कम्पनी द्वारा अधिकृत विक्रेता तथा सुधारक क्रमशः रास टेलीकॉम, रायपुर विजय इंटरप्राईजेस, अघनपुर, जगदलपुर से वार्षिक अनुबंध किया गया था, तदनुसार सामग्री एवं सुधार की कुल लागत लगभग 2 लाख व्यय हुआ है। वर्तमान में पुनः वार्षिक संधारण अनुबंध के अन्तर्गत उक्त फर्मो को कार्यादेश दिया जाना है। जिसकी वार्षिक लागत रू. 2 लाख सम्भावित है, स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

16. केन्द्रीय जेल जगदलपुर से फाईल पैड तथा फाईल कव्हर मुद्रण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत 1,25,000/– की कार्योपरान्त भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क्रमांक 01 से 16 तक नियमानुसार कार्यवाही अनुमोदित करते हुए यह लेख है कि क्र. 12 में कुलपति द्वारा सीधे बम्बई (गोदरेज ऑफिस को आदेश देने को लिखा गया था, जिसका पालन न करते हुए तत्कालीन कुलसचिव डॉ. इन्दु अनन्त द्वारा सीधे फर्म से सामान खरीदी गई एवं लाखों का अधिक बोगस बिल भी पाया गया जिसे पास कराने के लिये तत्कालीन कुलसचिव ने कुलपति पर अनावश्यक दबाब बनाया। बिल्स जो सामान सप्लाई की गई थी, उसे पास किया गया। बिन्दु क. 15 के संबंध में पुनः जांच कर लिया जाये राशि रूपये 2 लाख अधिक है, राशि कम करने संबंधित फर्म को कहा जाये।

विषय क्रमांक –31 (परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. परीक्षा फार्म मुद्रण एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग संस्था एम.आई.सी.एस. का कार्य वृद्धि बाबत् – बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का सत्र 2015–16 का परीक्षा फार्म एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य एम.आई.सी.एस.भोपाल द्वारा गतवर्ष की दर पर कार्य करने के आधार पर सत्र 2015–16 का परीक्षा कार्य मुद्रण (OMR) सहित मुद्रण एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग हेतु एक वर्ष की वृद्धि की गई है प्रकरण मान. कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

02 एम.आई.सी.एस. का परीक्षा फार्म मुद्रण का भुगतान के संबंध में – बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का सत्र 2015–16 का परीक्षा फार्म मुद्रण कराया गया है, जिसका देयक 19,50,000/– है दयकों का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

03. परीक्षा केन्द्र सत्र 2015–16 का अनुमोदन – बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा सत्र 2015–16 हेतु 28 परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालयीन परीक्षा का सफलता पूर्वक संचालन हेतु निर्धारित किया गया है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

04. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा परीक्षा कार्यों का सम्पादन हेतु निम्नानुसार पारिश्रमिक देय है जिसे बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू किये जाने बाबत :–

क्र.	देयक विवरण	प्रतिछात्र
1.	गणक पत्र लेखन	0.50
2.	गणक पत्र जांच	0.30
3.	अंकसूची सूची लेखन	0.70
4.	अंकसूची जांच	0.50
5.	परीक्षा आवेदन पत्र जांच	0.70
6.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जांच	0.70
7.	उपाधि लेखन (दोनो भाषा में)	3.00
8.	उपाधि जांच (प्रत्येक जांचकर्ता)	1.00
9.	नामांकन प्रपत्रों की जांच	0.60
10.	अंकसूची हस्ताक्षर	0.50
11.	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जांच)	0.60
12.	चतुर्थ श्रेणी 45/– प्रति हजार आवेदन पत्र	प्रति हजार आवेदन 45/–

पारिश्रमिक भुगतान की सीमा 25000/– होगी उक्त प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

05. गोपनीय विभाग के कर्मचारियों को सवा छः प्रतिशत भत्ता प्रदान करने बाबत – बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के गोपनीय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जनवरी से जून तथा सितम्बर एवं अक्टूबर माह का कुल 8 माह का भत्ता प्रदान किया जा रहा है, चूंकि उक्त व्यवस्था वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये जाते है किन्तु सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं को लेकर अब वर्ष भर परीक्षाएं होती है। अतः कर्मचारियों को 12 माह सवा छः प्रतिशत भत्ता दिये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

06. मूल्यांकन केन्द्र एवं उत्तर पुस्तिका संग्रहण करने वाले कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारण – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उत्तर पुस्तिका संग्रहण करने हेतु संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार पारिश्रमिक देय है :–

1.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	80/– प्रतिदिन
2.	चतुर्थ श्रेणी	60/– प्रतिदिन

उक्त पारिश्रमिक कार्यदेश की तिथि में देय होगा। अतः संलग्न कर्मचारियों को उपरोक्त पारिश्रमिक निर्धारण हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क्रमांक 01 से 03 तक नियमानुसार अनुमोदित किया गया। बिन्दु क्रमांक 04 एवं 05 के संबंध में यदि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में व्यवस्था है तो पत्र मंगाकर स्वीकृत दर एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाये। बिन्दु क्रमांक 06 अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –32 (समाज कार्य अध्ययनशाला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. समाज कार्य अध्ययनशाला को आवश्यक सामग्री/अति महत्वपूर्ण खर्च के लिए अग्रदाय राशि रूपये 2000/– प्रदाय करने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

02. समाज कार्य अध्ययनशाला में फील्ड वर्क/ Study Tour में छात्रों को निरंतर आना जाना पड़ता है, जिसमें विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय का टी.ए. खर्च अधिक होता है एवं छात्रों/शिक्षकों को विभिन्न परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए मिनी बस के संबंध में समाज कार्य अध्ययनशाला निरंतर मांग करते रहा है। अतः मिनी बस 35 सीटर क्रय करने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

03. समाज कार्य अध्ययनशाला के शिक्षकों को फील्ड वर्क/शैक्षणिक भ्रमण में जाने पर उचित भत्ता टी.ए./डी.ए. प्रदान करने हेतु निम्नानुसार मांग रखा गया हैः–

1. यदि शिक्षक/फील्ड वर्क में जाते है तो भत्ता के रूप में 02 रूपये प्रति किलो मीटर दिये जाने हेतु।

2. यातायात भत्ता – यात्रा भत्ता निर्धारित टेक्सी/बस/ट्रेन किराया के आधार पर प्रदाय किये जाने हेतु एवं ट्रेन में ए.सी. 3 का देयक मान्य हो।

3. दैनिक भत्ता (डी.ए.) – प्रत्येक 24 घंटे में 400 रूपये देयक मान्य हो।

उक्त भत्ता टी.ए./डी.ए. से संबंधित प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

04. समाज कार्य एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम है जो मुख्य रूप से समाज के हित एवं कल्याणार्थ कार्य करता है। अतः वर्ष 2011 से संचालन के साथ ही फार्मल (सामान्य पोशाक) ड्रेस एवं ब्लेजर (Black Blazer) ड्रेस कोड के रूप में रखा गया है, जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में समाज कार्य पाठ्यक्रम में फार्मल ड्रेस एवं ब्लेजर रखा गया है। अतः समाज कार्य अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय में भी फार्मल ड्रेस एवं ब्लेजर रखा गया है, जिसको कार्यपरिषद को अवगत कराने हेतु एवं उचित मार्गदर्शन हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

05. समाज कार्य अध्ययनशाला के विद्यार्थियों को रोजगार अवसर –

1. सत्र 2013–14 में प्रथम बेच से 20 छात्रों ने समाज कार्य उत्तीर्ण किया जिसमें सामाजिक अंकेक्षण यूनिट छत्तीसगढ़ रायपुर में बस्तर विश्वविद्यालय MSW के 16 छात्र चयनित हुए एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं/ शासकीय संस्थाओं में रोजगार स्थापन हेतु लगभग 98 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

2. सत्र 2014–15 में समाज कार्य द्वितीय बेच से 28 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जिसमें स्थानीय NGO's एवं शासकीय परियोजनाओं में विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिले एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग से आयोजित केम्पस सेलेक्सन में यंग प्रोफेशनल के अन्तर्गत छात्र राजेश कुमार ठाकुर एवं छात्रा छाया ईश्वर का चयन हुआ।

इस प्रकार समाज कार्य अध्ययनशाला अध्यापन के साथ –साथ छात्र –छात्राओं के रोजगार अवसर हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है। जिसके सादर सूचना प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क्रमांक 01 को नियमानुसार रूपये 3000/– अनुमोदन किया गया। बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में बजट में प्रावधान होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये। इस संबंध में माननीय केदार कश्यप जी के घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पत्राचार किया जा सकता है। बिन्दु क्र. 3 के संबंध में शासन के नियमानुसार कार्यवाही अनुमोदित किया गया। साथ ही बिन्दु क्र. 4 के सबंध में निर्णय लिया गया कि ड्रेस कोड स्वयं के व्यय पर रखा जा सकता है एवं 5 के संबंध में मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया तथा चयनित छात्र/छात्राओं को शुभकामनाएं दी गई।

विषय क्रमांक –33 (शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

शिक्षा अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय हेतु छात्रों के सुचारू अध्ययन को सतत् बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित सामग्री को नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाये:–

1. प्रिन्टेड एसाइनमेंट कापी प्रतिवर्ष
2. प्रिन्टेड लेखन प्लान कॉपी प्रतिवर्ष
3. ICT सामग्री (टेलीविजन) ओ.एच.पी. स्क्रीन,एल.सी.डी., स्केनर, डी.वी.डी. प्लेयर
4. पैडागॉजी रूम
5. कॉम्यूनिटी हाल

उक्त सूची के संबंध में प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क्र. 1 से 5 तक बजट के उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –34 (उपाधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. उपाधि प्रकोष्ठ में रखे गये वर्ष 2010 से 2012 तक मुद्रित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि को महाविद्यालयों को प्रेषित किया जा सकता है, प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (उपाधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वार उपाधि लेखन एवं उपाधि जांच को दिये जाने वाले पारिश्रमिक भत्ता, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू किये जाने संबंधी प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। (उपाधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

03. शैक्षणिक सत्र 2010 से 2012 तक स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उपाधि प्रमाण–पत्रों के मुद्रण के लिए उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने संबंधी प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि –

1. **वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के समस्त छात्र/छात्राओं को उनके उपाधि प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से विधिवत प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवाये जाये। साथ ही महाविद्यालयों को भी पत्र प्रेषित किया जाये कि छात्र/छात्राओं को उपाधि प्रमाण पत्र लेने हेतु फार्म भरवाकर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।**
2. **नियमानुसार स्वीकृति किया गया।**
3. **इस संबंध में महाविद्यालयों को सूचना प्रेषित किया जाये।**

विषय क्रमांक –35 (सांस्कृतिक समन्वयक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

प्रत्येक वर्ष अर्न्तमहाविद्यालयीन युवा उत्सव एवं अर्न्तविश्वविद्यालयीन युवा उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक समन्वयक द्वारा निम्नानुसार मांग रखा गया है :–

01. प्रतिभागियों एवं मैनेजर को ब्लेजर बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावे।

02. अर्न्तमहाविद्यालयीन युवा उत्सव के लिए टी.ए./डी.ए. बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावे। वर्तमान में प्रतिभागियों को संबंधित महाविद्यालय वहन करता है।

03. सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वाद्ययंत्र जैसे आक्टोपेड, सिन्थेसाइजर, हारमोनियम, तबला आदि के लिए राशि रू. 4 लाख की स्वीकृति।

उक्त प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से बिन्दु क्रमांक 01 से 03 तक स्वीकृति प्रदान की गई। बजट में प्रावधान होने पर नियमानुसार क्रय किया जा सकता है।

विषय क्रमांक —36 (क्रीड़ा अधिकारी, ब.वि.वि. द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न है)

01. पूर्व कुलसचिव डॉ. इन्दु अनन्त द्वारा खेल प्रतियोगिता हेतु अनावश्यक टीका टिप्पणी, एवं अग्रिम नहीं दिये जाने तथा खेल सामग्री प्रदाय नहीं करने से कई प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई एवं खिलाड़ी खेल से वंचित हुए।

02. खेल सामग्री/किट को कोटेशन के माध्यम से स्थानीय फर्म से क्रय करने के संबंध में — खेल सामग्री एवं किट को दो वर्ष से नहीं क्रय किया गया। जिससे खिलाड़ी छात्रों को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से खेल प्रभावित भी हुए है। सत्र 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 मं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सामग्री क्रय नहीं किया जा सका है। अतः एक साथ सामग्री क्रय करने में बहुत देरी हो रही है और पूर्व में भी कोटेशन के आधार पर स्थानीय फर्म से अलग—अलग सामग्री किट के आधार पर स्थानीय फर्म से कोटेशन के माध्यम से सामग्री क्रय की जाती रही है। अतः टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 2015—16 में भी किट व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय नहीं की जा सकी। अतः सामग्री के नाम से अलग—अलग कोटेशन कर सामग्री व किट स्थानीय फर्म से कोटेशन भण्डार क्रय के नियमानुसार क्रय करने के संबंध में प्रकरण मान. कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा खेल संबंधी कार्यों को बाधित करने की निंदा की गई। साथ ही खेल सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार टेंडर की कार्यवाही की अनुमति प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक —37

विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में आमंत्रित स्थानीय सदस्यों एवं बस्तर विश्वविद्यालय के सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु राशि रूपये 1000/— का निर्धारण बाबत्।

निर्णयः—मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर के सामान्य बैठकों को छोड़कर विश्वविद्यालय के उच्च बैठकों के सभी सम्मा. सदस्यों को राशि रूपये 1000/— मानदेय प्रदान किया जाये। कार्यपरिषद सदस्यों को लोकल कन्वेंनेन्स 500/— रूपये दिया जाये तथा मानदेय रूपये 1000/— दिया जाये।

विषय क्रमांक –38

दिनांक 10.02.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे कान्फ्रेंस हॉल में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय मान. कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत। (राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण संलग्न है)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक –39

दिनांक 11.06.2015 को भर्ती को लेकर प्रभारी कुलसचिव श्री ए.आर. चौरे तथा विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मध्य हुए वाद विवाद, धरना प्रदर्शन तथा दै.वे.भो. कर्मियों द्वारा लगाये गये गंभीर आरोप–प्रत्यारोप तथा श्री सुशील कोसले, दै.वे.भो. का दुरव्यवहार संबंधी आवेदन एवं समस्त दै.वे.भो. कर्मचारियों का गलत तरीके से श्री परस साहू को वेतन भुगतान संबंधी आवेदन तथा विभिन्न जनप्रतिनिधियों– श्री संतोष गौर, जगदलपुर, श्री दिनेश के.जी., भारतीय जनता युवा मोर्चा, जगदलपुर, श्री विक्की साहू, छात्रसंघ अध्यक्ष, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का सहायक कुलसचिव द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने संबंधी शिकायत की जांच हेतु एवं श्री ए.आर. चौरे के द्वारा दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य के विरूद्ध किये गये शिकायत की जांच हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी है–

श्री जी.पी. खरे, – अध्यक्ष
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

श्री एस.पी. तिवारी, – सदस्य
विभागाध्यक्ष, प्रा.भा.इतिहास, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

श्री अनिल तिर्की, – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी / सदस्य
वित्त अधिकारी, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

उक्त संबंध में प्राप्त विभिन्न शिकायती पत्रों का एवं लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच कर रिपोर्ट एक माह में देने हेतु कहा गया था, किन्तु रिपोर्ट अप्राप्त है, उक्त संबंध में स्मरण पत्र भेजा गया है। प्रकरण मान . कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत एवं अनुमोदनार्थ।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांक –40

01. ढोकरा कला स्थापना हेतु स्थायी औजार एवं उपकरण क्रय बाबत् कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 5767 / जि.पं. / राशि जारी / एन.एम.डी.सी.–सी.एस.आर. / 2015 / जगदलपुर, दिनांक 12.08.2015 के द्वारा 2.00 लाख रूपये प्राप्त हुआ है तथा शेष 2.5 लाख जारी होना शेष है। मान. कार्यपरिषद सूचना ग्रहण करें। विवरण संलग्न है।

02. कार्यालय कलेक्टर, जिला–बस्तर आदिवासी विकास शाखा के पत्र क्र 6456 / आ.वि. / कैशियर / 2015 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा बस्तर संभाग एवं जशपुर जिले के जनजाति की जनसंख्या के सर्वेक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 10.00 लाख प्राप्त हुई है। सर्वेक्षण कार्य विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान अध्ययनशाला द्वारा किया जावेगा। विवरण संलग्न है।

03. कार्यालय कलेक्टर, जिला–बस्तर छ.ग. के आदेश क्रमांक क/भू–अर्जन/11/2011/जगदलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा एन.एम.डी.सी. प्रबंधन के प्रस्ताव अनुसार आयरन एण्ड स्टील प्लांट, पीलेट प्लांट, कंस्ट्रक्शन कालोनी, प्लांट के स्टाकयार्ड, जलाशय, गारबेज एवं स्लेग डिस्पोजल प्रशिक्षण केन्द्र, पैलेट एवं सलरी पाईप लाईन प्रेजेक्ट के ऑफिस/आवास निर्माण एवं आवासीय कालोनी निर्माण कार्य के लिये एन.एम.डी.सी. के पक्ष निजी भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 धारा 4 से 6 में निहित प्रावधान अनुसार "सामाजिक समाघात अध्ययन" करने के लिये बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को कार्य एजेन्सी नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कुल राशि रूपये 35.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जानकारी के अनुसार राशि कार्यालय कलेक्टर को आबंटित कर दी गई है, विश्वविद्यालय को राशि हस्तांतरण की कार्यवाही होना है।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 03 तक सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक –41

बस्तर विश्वविद्यालय की सत्र 2015–16 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं राज्य शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संपादित की जा रही है। जनवरी/फरवरी 2016 की सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 28.01.2016 को प्रारंभ होकर दिनांक 20.02.2016 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परिणाम शीघ्र जारी किया जावेगा। इस वर्ष मुख्य परीक्षा 2016 में लगभग 50 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य परीक्षाएं दिनांक 16.03.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 16.05.2016 तक चलेगी। परीक्षा की समय सारिणी समस्त महाविद्यालयों को प्रेषित कर दी गई है। मान. कार्यपरिषद सूचना ग्रहण करें।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा मुख्य परीक्षा 2015–16 के सुचारू रूप से संचालन होने की सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक –42 (विश्वविद्यालय केन्द्रीय ग्रंथालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव)

01. बस्तर विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.02.2016 को आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही विवरण मान. कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

02. बस्तर विश्वविद्यालय ग्रंथालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 09.02.2016 को आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही विवरण मान. कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

03. ग्रंथालय के साथ–साथ प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन में भी दीमक के प्रकोप का उपचार करवाया जाना है, दीमक के कारण ग्रंथालय की पुस्तके खराब हो रही है, जिन्हें संग्रह सत्यापन के पश्चात write off करवाया जाना है।

04. ग्रंथालय के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक Library Automation Software/Hardware को क्रय किया जाना।

05. वर्ष 2016–17 में ग्रंथालय हेतु पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को मंगाया जाना है। पुस्तकों के संधारण हेतु 15 नग बुक सेल्फ क्रय किये जाने बाबत्।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 का अवलोकन किया गया। बिन्दु क्र. 2 से 05 तक नियमानुसार बजट की उपलब्धता तथा नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही अनुमोदित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से टेबल एजेण्डा

विषय क्रमांक –1

पी.एचडी. कोर्सवर्क परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र श्री ए.आर. चौरे, सहायक कुलसचिव गोपनीय द्वारा प्रश्नपत्र सेट नहीं करवाने के कारण दिनांक 26.02.2016 का परीक्षा निरस्त होने के संबंध में।

निर्णयः–कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 26.02.2016 का प्रश्नपत्र को निरस्त करना पड़ा था क्योंकि गलत प्रश्नपत्र दिया गया था। अतः पुनः सही पेपर सेट कराकर परीक्षा कराया गया है। मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कुलपति को विश्वविद्यालय की ओर से अधिकृत किया जाता है कि तीन सदस्यीय समिति का गठन कर प्रश्नपत्र निरस्त होने का कारण आदि का विस्तृत रिपोर्ट तेयार कर लैपसेस के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/प्रिंटर्स आदि के लिये उपयुक्त कार्यवाही संबंधी अनुसंशा करेगी। तीन सदस्यीय समिति निम्नानुसार गठित की जाती है, जो पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट देगी।

01.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राचार्य, शा.भा.स्ना.महाविद्यलाय, कांकेर	–	अध्यक्ष
02.	कलेक्टर, बस्तर द्वारा नामित एक सदस्य	–	सदस्य
03.	श्री शैलेन्द्र पटेल, उप कुलसचिव, ब.वि.वि.	–	प्रस्तोता सदस्य

माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि पी.एचडी. कोर्सवर्क परीक्षा का केन्द्रीय मूल्यांकन बस्तर विश्वविद्यालय में ही कराया जाये।

विषय क्रमांक – 02

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को विज्ञापित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये भर्ती में प्राथमिकता देने तथा बोनस अंक प्रदाय हेतु श्री बिपुल पॉल एवं प्रवीण द्विवेदी, प्रयोगशाला तकनीशियनों का आवेदन दिनांक 27.02.2016

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से उक्त संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्ताव अमान्य किया गया।

विषय क्रमांक –3.

विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार 9 नग शॉर्प फोटोकॉपीयर मशीन डी.जी.एस एण्ड डी. दर पर क्रय किया गया है, जिसकी कर सहित लागत रूपये 8,31,600 (आठ लाख इकतीस हजार छः सौ) मात्र है, देयक भुगतान किया जाना है। स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –9.

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के मांग के अनुसार 65 नग एच.सी.ए. (एसर) कम्प्यूटर सेट डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर क्रय किया जा रहा है। जिसकी कर सहित कुल लागत रूपये 26,27,625/– (छब्बीस लाख, सत्ताईस हजार छः सौ पच्चीस मात्र है) सामग्री प्राप्ति उपरांत देयक भुगतान की स्वीकृति/सूचनार्थ प्रस्तुत। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –10.

विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार तीन नग वाटर कूलर सी.एस.आई.डी.सी. दर पर तय करने आदेश जारी किया गया है। जिसकी कर सहित कुल लागत 1,38,903/– (एक लाख अडतीस हजार नौ सौ तीन मात्र है) स्वीकृति/सूचनार्थ प्रस्तुत है। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –11.

विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर 03 नग लैपटॉप छय करने के लिये क्रयादेश जारी किया गया हैं, जिसकी कुल लागत रूपये 1,87,425/– (एक लाख, सत्यासी हजार, चार सौ पच्चीस मात्र है) सामग्री प्राप्ति उपरांत देयक भुगतान किया जाना है। स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –12.

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु पावर पाईट प्रजेंटेशन के लिये दिनांक 29.02.2016 को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टर कार्यालय (आस्था हॉल) में आयोजित की गई जिसमें 03 वास्तुविदों का पेनल चयनित कर अनुमोदन किया गया। बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा कार्यवाही विवरण का अवलोकन करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक –13

परीक्षा संबंधी स्टेशनरी आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिये अत्यावश्यक एवं तत्काल कार्यवाही के लिये वस्तुओं की खरीदी कलेक्टर दर पर करने के संबंध में।

निर्णयः– मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर सामग्री कय किया जा सकता है।

विषय क्रमांक –4.

माननीय कुलपति महोदय को सुविधायुक्त भवन प्रदाय करने की दिशा में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. दर पर उचित क्षमता के जनरेटर क्रय कर कुलपति निवास में लगाया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 5.00 लाख रूपये संभावित है। स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –5.

केन्द्रीय जेल, जगदलपुर के मुद्रणालय से प्रपत्र 01 से 07 तथा परीक्षोपयोगी अन्य प्रपत्र मुद्रण करवाये जा रहे हैं, जिसकी लागत रूपये 1,20,000/– (कुल एक लाख बीस हजार मात्र) है। कार्योपरांत देयक भुगतान किया जाना है। स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत।

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –6.

विश्वविद्यालय में सी.सी.टी.व्ही. लगाने हेतु निविदा जारी किया गया था, निविदा में स्वीकृत फर्म तथा दर विंध्या ट्रेडर्स, रायपुर को क्रय कार्यादेश जारी किया गया है, छ.ग. संवाद रायपुर के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन की राशि सहित अनुमानित लागत लगभग रूपये 3.50.000/– (तीन लाख पचास हजार) की कार्योपरांत देयक भुगतान की स्वीकृति/सूचनार्थ प्रस्तुत। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –7.

परीक्षा कार्य हेतु "आदर्श सहकारी मुद्रणालय मर्यादित जगदलपुर" को विभिन्न लिफाफों का मुद्रणादेश जारी किया गया है। जिसकी कुल राशि रूपये 3,99,000/– (तीन लाख निन्यानवे हजार मात्र) है। लिफाफों की प्राप्ति उपरांत देयक भुगतान किया जाना है। स्वीकृति/सूचनार्थ प्रस्तुत। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –8.

विश्वविद्यालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु 20 नग कम्प्यूटर का प्रिंटर डी.जी.एस.एण्ड डी. दर पर क्रय करने की आवश्यकता है, जिसकी अनुमानित लागत अधिकतम 2.00 लाख रूपये संभावित है। स्वीकृति/सूचनार्थ प्रस्तुत। (संशोधित विषय)

निर्णयः–मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक –14

पूर्वकुलसचिव के समयकाल के लंबित विभिन्न देयकों के भुगतान संबंधी प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– मान. कार्यपरिषद द्वारा इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंबित देयकों का भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है। इस संबंध में हुई देरी के लिये खेद है, जिसके लिये तत्कालीन कुलसचिव जवाबदार एवं जिम्मेदार हैं।

विषय क्रमांक –15

दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया द्वारा सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी तथा उपलब्धियों का प्रकाशन कराया गया था, जिसका देयक भुगतान हेतु राशि रूपये 20,000/– का भुगतान हेतु लंबित है। अतः भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण सादर प्रस्तुत।

निर्णयः– मान. कार्यपरिषद द्वारा इस विषय पर सर्वसम्मति से लंबित देयक का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर